TO BE PUBLISHED IN PART II, SUB-SECTION (ii) OF SECTION 3 OF THE GAZETTE OF INDIA)

**Ministry of Finance** 

	(Department of Revenue)
(C	entral Board of Direct Taxes

9	121191
New Delhi, the	January, 201

## Notification

- S.O. 1. It is hereby notified for general information that the organization Amrita Vishwa Vidhyapeetham University Kochi, (PAN - AAATM2403M) has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Incometax Rules, 1962 (said Rules), assessment year 2013-2014 and onwards in the category of "University College and other Institution", engaged in research activities subject to the following conditions, namely:-
- The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research; (i)
- The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled (ii) students;
- (iii) The approved organization shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under subsection (1) of section 139 of the said Act;
- (iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.
- 2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:
  - fails to maintain separate books of accounts as referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
  - fails to furnish its audit report as referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or (b)
  - (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research as referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or

ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or

ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

(Richa Rastogi)

**Under Secretary (ITA-II)** (F.No.203/03/2013/ITA-II)

Notification no 0 8 /2014

To

The Manager, Govt. of India Press, Mayapuri, New Delhi

## Copy forwarded to:

- The applicant organization Amrita Vishwa Vidhyapeetham University Kochi, 1.
- 2 DGIT (Exemption), Delhi.
- 3. -Comptroller & Auditor General of India.
- 4. **CCIT**, Trivandrum
- 5. Concerned File
- 6. Ministry of Law & Justice (Correction Section), New Delhi.
- 7. DIT(Systems), New Delhi, for placing on the website incometaxindia.gov.in
- 8. Guard file. (PAN:AAATM2403M)
- 9. ITCC, CBDT (5 copies).

(Richa Rastogi) **Under Secretary (ITA-II)** 

(भारत के राजपत्र के भाग ।।, खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

> 22 भर्ज ' नई दिल्ली, दिनांक: जनवरी, 2014

## <u>अधिसूचना</u>

का.आ. 1. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी, कोच्चि, (पैन-एएएटीएम2403एम) संगठन को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और उससे आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यकलापों में लगे 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, नामत:-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशियों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में पृथक लेखा बही रखेगा, जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता-बही की लेखा-परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि का पृथक विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
- 2. केंद्र सरकार यह अन्मोदन वापस ले लेगी यदि अन्मोदित संगठन:-
  - (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित पृथक लेखा बही रखने में असफल रहता है; अथवा
  - (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
  - (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को वास्तविक नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ंड के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के उपबंधों के अनुरूप नहीं होगा और उनका पालन नहीं करेगा।

(ऋचा रस्तोगी)

अवर सचिव (आकनि-।।)

(फा.सं. 203/03/2013/आकनि-।।)

अधिसूचना सं. ७ 🔗 /2014

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली

## प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. आवेदक संगठन, अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी, कोच्चि।
- 2. आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली।
- 3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
- 4. मुख्य आयकर आयुक्त, त्रिवेन्द्रम।
- 5. संबंधित फाइल।
- 6. विधि एवं न्याय मंत्रालय (संशोधन अनुभाग), नई दिल्ली।
- 7. आयकर निदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली को वेबसाइट incometaxindia.gov.in में डालने हेतु।
- 8. गार्ड फाइल। (पैन-एएएटीएम2403एम)
- 9. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (5 प्रतियां)।

(ऋचा रस्तोगी)

अवर सचिव (आकनि-।।)